

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

ईसीआई/पी.एन./33/2017

दिनांक: 7 अप्रैल, 2017

प्रेस – नोट

विषय: अनुपलभ्य प्रतीक “दो पत्तियां” के उपयोग पर आयोग की अप्रसन्नता।

11- डा.आर.के. नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा के उप-निर्वाचन के लिए आयोग ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम, एआईएडीएम के (अम्मा) दल को “टोप” दलीय प्रतीक आंबटित करते हुए अपना आदेश **23.03.2017** जारी किया था और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम, एआईएडीएम के पुराची थलाईवा नामक दूसरे गुट को प्रतीक “बिजली का खम्भा” आंबटित किया था। उक्त आदेश के द्वारा आयोग ने अविभाजित एआईएडीएमके दल के लिए आरक्षित “दो पत्तियां” प्रतीक को अनुपलभ्य कर दिया था और इसलिए, उक्त प्रतीक का किसी अन्य दलीय प्रतीक या किसी दल के नाम के साथ, चाहे किसी भी रूप में, उपयोग/निरूपण/सदृश्यता निकालना गैर-कानूनी है।

2. आयोग को **11-** डा.आर.के. नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से इस बात की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई कि एआईएडीएमके (पुराची थलाईवा अम्मा) दल ने प्रतीक “दो पत्तियां” पर अध्यारोपित दलीय प्रतीक बिजली का खम्भा दर्शाने वाले पोस्टर लगाए हैं। सोशल मीडिया संदेश अपलोड किए हैं। आयोग के ध्यान में यह बात भी आई है कि दल के दूसरे गुट, जिसे एआईएडीएमके (अम्मा) के रूप में जाना जाता है, ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट में और अन्य दलीय कागजात में “दो पत्तियां” प्रतीक का इस्तेमाल करना जारी रखा है। इसने आयोग द्वारा प्रतीक अनुपलभ्य किए जाने के बाद भी प्रतीक का इस्तेमाल करना जारी रखा और इसने उक्त उप-निर्वाचन में अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन दाखिल करने के दौरान भी ऐसा करना जारी रखा।

3. पूर्वोक्त दोनों ही दलों को उक्त कृत्य के लिए, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा **123 (4)** के अंतर्गत यथा-परिभाषित भ्रष्ट आचरण की परिधि के भीतर आते हैं और साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा, 171 (जी) का भी उल्लंघन करते हैं, करण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उक्त दलों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों पर आयोग द्वारा विचार किया

गया और वे असंतोषजनक पाए गए और इसलिए, उन्हें आयोग की अप्रसन्नता से अवगत करा दिया गया है और भविष्य में ऐसे कृत्य नहीं दोहराने की सलाह दी गई है।

4. एआईएडीएमके (अम्मा) गुट और एआईएडीएमके (पुराची थलाईवा अम्मा) गुट को आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि वे अपनी सभी अधिकारिक वेबसाइट/सोशल मीडिया से “दो पत्तियां” को फौरन हटाएं और **08/04/2017** के **4:00** बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5. आयोग ने सुस्पष्टता के लिए और इस मामले को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए स्पष्ट किया है कि प्रतीक “दो पत्तियां” आयोग द्वारा अनुपलभ्य कर दिया गया है और किसी भी दल/ गुट/अभ्यर्थी/नेता का उक्त प्रतीक पर आगामी आदेशों तक कोई दावा नहीं है।

ह./-

(धीरेन्द्र ओझा)

निदेशक